



राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 □ Rajasthan □ India



क्रमांक : प.11(8)/रीपा/परीक्षा/विभागीय/IFS/2025/ 3970

दिनांक : 28/05/2025

कार्यालय-आदेश

संस्थान रीपा, जयपुर द्वारा दिनांक 09.06.2025 से 13.06.2025 की अवधि में आयोजित की जाने वाली भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की विभागीय परीक्षा में निम्न अधिकारियों को बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं परीक्षा के रोल नम्बर निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

रोल नम्बर	परीक्षार्थी का नाम	पता
01	बड़े विवेकानन्द माणिकराव	कार्यालय उप वन संरक्षक, सिविल लाईन्स, नयापुरा, कोटा (राज.)-324001
02	चेतन कुमार बी.वी.	ACF Quarter No. 2, Sariska Campus, Alwar (Raj.)-301001
03	जी वेंकटेश	कार्यालय उप वन संरक्षक, रोटरी सर्किल, जोधपुर (राज.)-342001
04	काविया बी.	कार्यालय उप वन संरक्षक, ज्योतिराव फुले सर्किल, नयाबास, अलवर (राज.)-301001
05	पाटील तेजस विष्णु	कार्यालय उप वन संरक्षक, उप क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सर्वाई माधोपुर (राज.)-322001

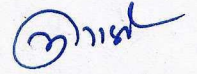
परीक्षा कार्यक्रम			
दिनांक	समय	प्रश्न पत्र	प्रश्न पत्र विषय
09.06.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	पहला	Forest Law
10.06.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	दूसरा	Land Revenue System
11.06.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	तीसरा	Procedure and Accounts
12.06.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	पांचवा	Utilisation of Forest Produce With Special reference to this state
13.06.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	चौथा	Hindi

परीक्षा केन्द्र/स्थल : एच.सी.एम. रीपा, मुख्यालय जयपुर		
क्र. सं.	परीक्षा कक्ष/हॉल का नाम	भवन का नाम
1	नीति/एन. 216	नेहरू भवन

परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-

- 1 प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा-कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।
- 2 परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को मोबाईल फोन लें जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 3 Barc Act/Manual के अतिरिक्त अन्य कोई अनुचित सामग्री परीक्षा-कक्ष में अनुमत नहीं होगी।
- 4 व्याख्याओं सहित अधिनियमों, मोनोग्राफ एवं नियमावलियों से सम्बन्धित प्रतियाँ परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 5 परीक्षार्थी द्वारा किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग वर्जित है तथा दण्डनीय है। परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व बैग वर्जित है।
- 6 परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान चाय व पान आदि का प्रयोग अनुमत नहीं है।
- 7 परीक्षा-कक्ष में बैठने के दौरान परीक्षार्थियों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी होगी।
- 8 परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थान को भली भाँति देख ले कि वहाँ कोई पुस्तक, पर्चा, अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह परीक्षा निरीक्षक को सूचित करें अन्यथा इस संबंध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।

- 9 परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न ही अपने पत्रों की नकल करने देगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
- 10 परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक में पूर्ण इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर करें।
- 11 परीक्षा-कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका परीक्षा निरीक्षक को सम्भला दें, तत्पश्चात परीक्षा निरीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़ें।
- 12 संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध संस्थान जो भी उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।



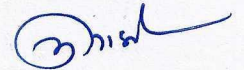
(डॉ. मीनाक्षी खंगारोट)
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

क्रमांक : प.11(8)/रीपा/परीक्षा/विभागीय/IFS/2025/3974-3980

दिनांक : 28/05/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन), राजस्थान, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को प्रति भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित अभ्यर्थियों को अपने स्तर पर भी अवगत कराने का श्रम करावें।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
3. निजी सहायक ग्रेड-II, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी (आयोजना एवं प्रशिक्षण), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
5. उप निदेशक (प्रशासन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों को परीक्षा-कक्ष में पानी पिलाने व अन्य कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था करावें।
6. प्रभारी अधिकारी (परिसर-नेहरू भवन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि कृपया परीक्षा अवधि में परीक्षा-कक्ष की साफ-सफाई, बैठने की उचित व्यवस्था कराने हेतु संबंधित कार्मिक को निर्देशित कराने का श्रम करें।
7. ए.सी.पी. (उप निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित परीक्षार्थी सर्वश्री..... (रोल नं. 01 से 05 तक)।
9. नोटिस बोर्ड (नेहरू भवन)।
10. रक्षित पत्रावली।



एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)